न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 94/2022 बउनवानी प्रताप सिंह राठोड बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कले.खण्डार पुत्र श्री रामसिंह राठौड निवासी ग्राम व पोस्ट खण्डार

GCMS No-2022/164

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
12.10.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 18.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. तहसील क्षेत्र खण्डार जिला सवाईमाधोपुर में शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण के समय निर्धारित फीस जमा करवाने के पश्चात दिनांक 1.5.2020 से 18.7.2022 तक कितने शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण नही करके निरस्त किये गये है। व किस कारण से निरस्त किये गये।
2. उपरोक्त वर्णित समयावधि मे शस्त्र अनुज्ञाधारक की उम्र 75 वर्ष से अधिक होने के कारण कितने शस्त्र लाईसेंस निरस्त किये गये? उन सभी शस्त्र अनुज्ञाधारक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन फार्म मय सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित नकल चाहिए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ()/2022/1452 दिनांक 11.10.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना जरिये पत्रांक 1205 दिनांक 30.8.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 मे चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक पत्रांक 1205 दिनांक 30.8.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जाये। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:36:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर